

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश : दिल्ली ।

34780 - 960

संख्या.....हिन्दी/238/2022

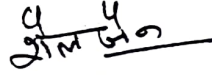
दिल्ली, दिनांक.....

15 SEP 2022

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार आगामी "हिन्दी दिवस 2022" के पावन अवसर पर मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली सरकार के संदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

- माननीय विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुख्यालय तीस हजारी न्यायालय दिल्ली, नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदरा, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, राजज एवेन्यू इस अनुरोध सहित कि इस संदेश को संबंधित न्यायिक जिले में पारिचालित करवाएं।
- निजी सचिव, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) दिल्ली।
 - समस्त न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
 - सुश्री शैल जैन प्रधान न्यायाधीश, दिल्ली / अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री संजीव जैन, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कडकड़डूमा दिल्ली / सह-सदस्य केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली / सदस्य केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, दिल्ली। श्री हेमराज, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीस हजारी दिल्ली / सदस्य केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति।
 - समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) / प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) / अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
 - वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), राजभाषा हिन्दी अनुभाग नई दिल्ली, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदरा, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, राजज एवेन्यू, ।
 - उप-सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार।
 - वक्ताइट समिति लेयर्स पर अपलोड करने हेतु।

नोट: कृपया, अपने अधीन समस्त कर्मचारियों को उक्त संदेश से अवगत करवाएं।


(शैल जैन)

विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ/प)

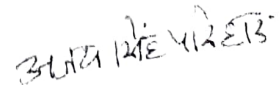
जिला न्यायालय रोहिणी दिल्ली

28297 - 28369

संख्या.....परिपत्र/राजभाषा अनुभाग हिन्दी/उ-प/रोहिणी/2022

दिल्ली, दिनांक.....19/09/22

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम), रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली के निदेशानुसार उपर्युक्त मुख्य सचिव, दिल्ली द्वारा निर्गमित हिन्दी दिवस संदेश सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय दिल्ली के माननीय न्यायिक अधिकारियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक), एवं अनुभाग प्रचारियों को प्रेषित किया जाता है।



(महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी)

राजभाषा हिन्दी अनुभाग

जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

नरेश कुमार, भा.प्र.से.
NARESH KUMAR, I.A.S



मुख्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
Chief Secretary
Government of NCT of Delhi

फॉ. सं. 65 (01)/आ.14-15/क.स. 27/1554

संदेश

"हिन्दी दिवस"

14 सितम्बर, 2022

3303
16 SE

सोहिणी न्यायालय

हिन्दी दिवस पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाते हैं।

एक राष्ट्र के रूप में भारत बड़ी संख्या में भाषाओं और बोलियों में समृद्ध है तथा अपनी पंहच, सादगी और स्वीकार्यता के चलते हिन्दी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ है। क्षेत्र, धर्म और संस्कृति की बाधाओं को पार करके इसने भारत संघ की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। अभिव्यक्ति और संचार के माध्यमों में इसकी सहज स्वीकार्यता के कारण सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने हिन्दी के और अधिक विकास को संभव बना दिया है।

राजभाषा के रूप में हिन्दी के अपेक्षित प्रयोग हेतु बनाए गए अधिनियम, नियमों तथा समय समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए हमें अपने कार्यालयों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अब कम्प्यूटरों और अन्य उपकरणों की उपलब्धता के फलस्वरूप हिन्दी में कार्य करना पहले से और अधिक सरल हो गया है। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकारी कामकाज हिन्दी में किए जाने की दिशा में प्रगति हो रही है, परंतु यह प्रगति यथेष्ट नहीं है। अतः हमें इसे और आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयास करने होंगे।

दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को "हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 2022 के महत्वपूर्ण अवसर को अपने स्तर पर अधिकाधिक उत्साहपूर्वक मनाते हुए हिन्दी सप्ताह, हिन्दी मखवाड़े का आयोजन करना चाहिए।

मेरा समस्त विभागाध्यक्षों से भी यह अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में आसान हिन्दी का प्रयोग किए जाने के लिए प्रेरित करें। आइये हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर-राजभाषा तथा भारत की जनभाषा, दोनों रूपों में हिन्दी के विकास के प्रति हम अपने आपको समर्पित करें। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निश्चय करना चाहिए कि अपने दैनिक सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

नरेश कुमार

(नरेश कुमार)
मुख्य सचिव, दिल्ली

दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002, फोन : 011-23392100, 011-23392101, फैक्स : 011-23392102

DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002, Tel. : 011-23392100, 011-23392101 Fax : 011-23392102

E-mail : csdelhi@nic.in